



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022


अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-50 (लो0सू0अ0)/2022-23

डॉ. पूर्णिमा कुमारी पोद्दार, द्वारा-श्री गौरी शंकर पोद्दार, लोकनाथपुर गंज, वार्ड-12 नगर परिषद्,
पोस्ट-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर-848114

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
19.10.2022	<p>डॉ. पूर्णिमा कुमारी पोद्दार, द्वारा-श्री गौरी शंकर पोद्दार, लोकनाथपुर गंज, वार्ड-12 नगर परिषद्, पोस्ट-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर-848114 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-14.10.2022 इस कार्यालय में दिनांक-17.10.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-59F 408223 दिनांक-शुन्य संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलकर्ता डॉ. पूर्णिमा कुमारी पोद्दार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-02.09.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-महामहिम राज्यपाल के सचिव के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-02.09.2022 की छाया प्रति संलग्न की है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता डॉ. पूर्णिमा कुमारी पोद्दार ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>

